

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 554 / 2024

चिमन लाल बैरवा

—अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला वृत्त जोधपुर।
4. सोहन लाल, सहायक अभियंता, नगर उपखंड तृतीय, फिल्टर प्लांट, अजमेर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024

आदेश की दिनांक : 14.03.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर उपखंड प्रताप नगर, जोधपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उपखंड लूणी, जोधपुर से पीएमसी खंड प्रथम जायल किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 16.02.2024 के द्वारा प्रताप नगर, जोधपुर से लूणी, जोधपुर किया गया था, परंतु पद रिक्त न होने के कारण उसे आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा लूणी,

जोधपुर दर्शाते हुये जायल किया गया है। जबकि अपीलार्थी ने लूणी, जोधपुर में कार्यग्रहण ही नहीं किया है और इस प्रकार लूणी, जोधपुर दर्शाते हुये स्थानान्तरण आदेश जारी किया जाना बिना विवेक का प्रयोग किये प्रकट होता है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 16.02.2024 एवं 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को लूणी, जोधपुर कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक अभियंता के पद पर उपखंड प्रताप नगर, जोधपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 16.02.2024 के द्वारा प्रताप नगर, जोधपुर से लूणी, जोधपुर किया गया था, परंतु पद रिक्त न होने के कारण आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उपखंड लूणी, जोधपुर से पीएमसी खंड प्रथम जायल किया गया है। उसे आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा जायल किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को स्थानान्तरण आदेश में लूणी, जोधपुर से स्थानान्तरण दर्शाते हुये स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी को प्रताप नगर, जोधपुर से लूणी, जोधपुर स्थानान्तरण किया गया था, परंतु पद रिक्त न होने के कारण उसे आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी को लूणी, जोधपुर से जायल स्थानान्तरण किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है। अपीलार्थी वर्ष 2022 से एक ही स्थान पर कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं जनहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for

administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)